2018/0011

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 92/2018 (अपील)

उनवान

जगदीश उर्फ जी मोतीलाल जाति [illegible] निवासी ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील दीगोद, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 28.11.2017 मिसिल नम्बर 2797/2016
न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 23.08.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योन्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बनेठिया, तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 531 की रकबा 1.36 हैक्टयर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना मानकर अपीलाण्ट को उपरोक्त भूमि सेबेदखल किऐ जाने का, रुपान राशि का आरोपित की जाकर, सिविल कारावास की सजा से दण्डित किऐ जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सूचना दिये बिना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किऐ बिना ही हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित कोई नोटिस अपीलाण्ट को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं हुआ था तथा अपीलाण्ट ने किसी नोटिस को लेने से इण्कार नहीं किया गया है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट पर नोटिस की तामील गलत रूप से होना मानकर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के पिता श्री मोतीलाल के खाते एंव कब्जे काश्त की थी। मोतीलाल जी के विरूद्ध उपरोक्त आराजी एंव दीगर कृषि आराजीयात के सम्बन्ध में न्यायालय में सीलिंग कार्यवाही चली थी। उक्त प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। खातेदार स्वर्गीय श्री मोतीलालजी एंव उनके वारिसान

अपीलाण्ट के विरूद्ध सीलिंग सीमा का निर्धारण होना अभी बाकी है। प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किऐ जाने की फाइण्डिंग दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने में त्रुटि की है। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त 2001आर.आर.डी. पेज 401 एंव आर.आर.डी. 1994 पेज 501 प्रस्तुत करते हुऐ अपील अपीलाण्ट स्वीकार किऐ जाने हेतु निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली एंव प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन करने उपरान्त बहस में व्यक्त कथन के अनुरूप प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलाण्ट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पूर्ण विवेचना के साथ पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में पूर्ण साक्ष्य रेकार्ड पर लेकर पुनः विधि सम्वत निर्णय पारित करे।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9, निर्णय आज दिनांक 23.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा